न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2023	07.11.2023	22.03.2024

// निर्णय //

1. भगवानसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह
जाति राजपूत निवासी सुजानपुरा गड़ा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण (राज.)

प्रार्थी: –

बनाम

1. श्री थानाराम पुत्र श्री चौथाराम जाति मेघवाल निवासी सुजानपुरा गड़ा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) (i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसिंह उपस्थित

1. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि** –प्रार्थी ग्राम **गड़ा ग्राम पंचायत** गड़ा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का मूल निवासी है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम **गड़ा** पटवार हल्का **गड़ा** भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खाता संख्या 369 खसरा नम्बर 380 रकबा 7.2681 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

... पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, टांका व ट्यूबवैल बने हुए है। एवं अपने कब्जा काश्त की भूमि पर आबाद है। प्रार्थी के उक्त खसरा की भूमि से होकर खसरा नम्बर 378 में से होकर आगे गड़ा नयाबास से खिरजा रायसर ग्रवल सड़क से मिलता है। उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग प्रार्थी एवं क्षेत्र के आम लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय गड़ा जाने के लिये इसी रास्ते से जाना पड़ता है। ग्राम गडा मुख्यालय पर राजकीय स्कूल स्थित है बच्चो को स्कूल आने जाने एवं प्रार्थी एवं अन्य आमजन को ग्राम पंचायत मुख्यालय तक आने जाने एवं दैनिक उपयोग का सामान लाने ले जाने के वाहन लाने–ले जाने एव अस्पताल एवं बस स्टैण्ड तक आने जाने के लिए इसी रास्ते को उपयोग में लिया जाता आ रहा है अभी हाल ही में खसरा नम्बर 378 के खातेदार ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया। उक्त रास्ते को बंद कर देने से प्रार्थी एवं अन्य आमजन घरेलू सामान व पीने का पानी का टेकर, ट्यूबवैल स्थित होने के कारण खाद बीज, खाद्य ... टैक्टर कटाई बुआई हेतू मजदूरो को आने जाने एव स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल आने–जाने तथा बच्चो को स्कूल एवं मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी एवं अन्य आमजन के आवागमन के लिए तथा बच्चो को स्कूल आने जाने तथा बीमार को अस्पताल लाने ले जाने तथा रोजमरा की दैनिक उपयोग की सामग्री लाने के लिए उपकरण कृषि संबधी सामान लाने ले जाने के लिए वाहन इत्यादी आने जाने के लिए भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा बरसात होने पर काश्त करने के लिए खाद बीज तथा जुताई के लिए टैक्टर एवं अन्य वाहन लाने–ले जाने पड़ते है ऐसी स्थिति में उक्त पुराने चल रहे रास्ते को वर्तमान में खसरान नम्बर 378 के खातेदारो द्वारा रास्ता बंद करने से प्रार्थी एवं अन्य आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है किसी प्रकार का वाहन, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाकर सार्वजनिक रास्ता राजस्व

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:22 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड में दर्ज किया जाना प्रत्येक दृष्टि से उचित वाजिब एवं न्याय संगत है प्रार्थी उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने के लिए नियमानुसार देय शुल्क एवं डीएलसी दर से न्यायालय के आदेशानुसार राशि जमा करवाने को भी तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पुराने रास्ते को बंद कर रखा है जिसके कारण प्रार्थी व अन्य आमजन एवं बच्चो को स्कूल आने जाने तथा अन्य रोजमरा का सामान लाने ले जाने के लिए ग्राम गड़ा तक आने जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत व ढाणीयों में आने–जाने की सुविधा के लिये कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है केवल खसरा नम्बर 378 में से ही आने–जाने का सबसे सुगम व सबसे कम दूरी का रास्ता यही है। प्रार्थी उक्त कदीमी रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने के सबंध मे नियमानुसार देय शुल्क राशि एवं डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने को भी तैयार है। अप्रार्थी उक्त पुराना चल रहै रास्ते को वर्तमान में तारबंदी करके बंद कर दिया है। जिसके कारण से प्रार्थी व अन्य लोगो को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित न किया जाकर अप्रार्थी की दखलन्दाजीयो के कारण प्रार्थी व अन्य काश्तकारो को साथ ही आने जाने ढाणियों से अपातकालीन सेवा अस्पताल जाने बच्चो के स्कुल आने जाने मे भारी परेशानी हो रही है। यही नही दैनिक आवश्यकता के सामान को भी लाने ले जाने मे भारी परेशानी होगी। अप्रार्थी को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे नही मान रहे है और प्रार्थी व अन्य क्षेत्र के लोगो को उक्त रास्ते के उपयोग मे दखलन्दाजी कर रहे है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी को इस संबध मे कुछ कठोरता से कहा तो वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर अमादा हो गये। प्रार्थी ने सम्बधित हल्का पटवारी महोदय को भी निवेदन किया मगर उनके द्वारा भी कोई प्रभावी कार्यवाही आज दिन तक नही की गई । ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय की शरण लेकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के अलावा अन्य कोई विकल्प या सहारा नही रहा है। उपरोक्त

सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:22 IST
Reason: SelfAttested

खसरान की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थिति होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार हासील है। उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क अलावा तलबाना हमारा पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जावें तथा ग्राम **गड़ा** पटवार हल्का गड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र **खिरजा खांस** तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर मे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 369 एवं ढाणिया खेत मे आने–जाने के उक्त पुराने रास्ते के उपयोग मे लिए जाने के लिए राजस्व ग्राम **गड़ा** पटवार हल्का **गड़ा** भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र **खिरजा खांस** तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 378 में से निकलकर आगे कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 349 तक 24 फुट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता घोषित करने के आदेश फरमावें। तथा साथ ही यह आदेश फरमाया जावे कि उस रास्ते के उपयोग व उपभोग मे प्रार्थी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा रूकावट पैदा नही करें। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो सादर फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली में तहसीलदार शेरगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके तथ्य इस प्रकार है –

प्रार्थी के खसरा नम्बर 380 का स्वंय प्रार्थी खातेदार है प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 380 में जाने के लिये कोई कटाणी रास्ता नहीं है प्रार्थी के खेत के लिये सबसे नजदीकी रास्ता कटाणी रास्ता, खसरा नम्बर 349 से है, जो कि खसरा नम्बर 378 में से चलता है प्रार्थी खातेदार के खेत में जाने हेतू सबसे नजदीकी रास्ता 378 में से प्रस्तावित है जो कि एकमात्र खसरा है अर्थात प्रार्थी के खसरा नम्बर 380 हेतु प्रस्तावित रास्ते के मध्य जाने वाला खसरा 378 ही है प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 26 मीटर तथा चौडाई 8 मीटर क्षेत्रफल 0.0208 हैक्टैयर (0.03बीघा) है डीएलसी दर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:31:22 IST
Reason: SelfAttested

3

6252 प्रति बीघा जो दुगुनी राशि =938x2=1876 है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई सरचना/पहाड़ इत्यादी नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार शेरगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि मौका रिपोर्ट में बताये गये मार्क A से B तक का रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है उक्त रास्ता खसरां नम्बर 378 में सें होकर खसरा नम्बर 349 के कटाणी रास्ते से मिलान करता है। जिसे कटाणी रास्ता घोषित किया जावे।

अतः प्रार्थी के उक्त खसरे की रिपोर्ट में बताई गयी डीएलसी दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज उक्त रास्ता [illegible] होगा जो सभी पक्षकारो के आने–जाने हेतू काम में लिया जायेगा। निर्णय आज दिनांक 22/3/24 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़(जोधपुर)

आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:22 IST
Reason: SelfAttested